यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, राजकीय बेस चिकित्सालय, कोटद्वार, पौडी** द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गई किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, राजकीय बेस चिकित्सालय, कोटद्वार, पौडी** के माह 01/2017 से 01/2018 तक के लेखा–अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री एस0के0 गुप्ता, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं मो0 सलीम खान, वरि0 लेखापरीक्षक द्वारा दिनॉक 09.02.2018 से 15.02.2018 तक श्री आई0के0 जुयाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग–I

1. **परिचयात्मकः–** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री सुधीर कुमार एवं श्री देवेन्द्र दिवाकर, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनॉक 23.01.2017 से 31.01.2017 तक श्री दानिश इकबाल, वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गई थी, जिसमें माह 04/2013 से 12/2016 तक के लेखा–अभिलेखों की जॉच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 01/2017 से 01/2018 तक के लेखा–अभिलेखों की जॉच की गयी।

2. **(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः**

इकाई द्वारा चिकित्सालय में आने वाले रोगियों के स्वास्थ्य, टीकाकरण, परिवार कल्याण एवं अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्त राष्ट्रीय कार्यक्रमों एवं योजनाओं का सम्पादन, अनुश्रवण एवं निरीक्षण किया जाता है। इकाई का भौगोलिक अधिकार क्षेत्र चिकित्सालय में आने वाले समस्त क्षेत्र के रोगियों से है।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु0 लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर–स्थापना		स्थापना		गैर–स्थापना	
	स्थापना	गैर स्थापना	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)	आधिक्य (+)	बचत (-)
2015–16	–	–	625.27	550.70	235.00	235.00	–	74.57	–	–
2016–17	–	–	684.66	650.47	70.00	70.00	'–	34.19	–	–
2017–18 (01/2018 तक)	–	–	754.85	659.58	75.00	75.00	–	95.27	–	–

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत् हैः

(रु0 लाख में)

वर्ष	**योजना का नाम**	**प्रारम्भिक अवशेष**	**प्राप्त**	**व्यय**	**आधिक्य (+)**	**बचत (-)**
2015–16	एन0एच0एम0	43.23	123.22	60.97	–	105.48
2016–17		105.48	68.30	83.32	–	90.46
2017–18 (01/2018 तक)		90.46	25.85	21.15	–	95.16

(iii) इकाई को बजट आबंटन महानिदेशक के स्तर एवं एन0एच0एम0 का बजट मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौडी के माध्यम से आता है। गैर–स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई "सी" श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् हैः–

अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वाथ्य

⇩

सचिव/अपर सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

⇩

महानिदेशक

⇩

निदेशक

⇩

मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक

⇩

चिकित्सा अधीक्षक

⇩

अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी

⇩

वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी

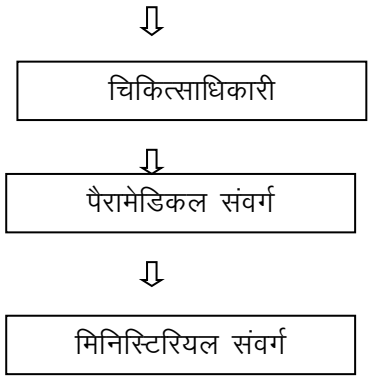

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, राजकीय बेस चिकित्सालय, कोटद्वार, पौडी को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक–पृथक जारी किए जा रहे हैं। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, राजकीय बेस चिकित्सालय, कोटद्वार, पौडी की लेखापरीक्षा में पाए गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह मई 2017 को अधिकतम व्यय के आधार पर विस्तृत जॉच हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाए गये नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी0पी0सी0 एक्ट 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गई।

भाग–II 'ब'

प्रस्तर–1 विभागीय उदासीनता के परिणास्वरुप ट्रामा सेंटर निर्माण में रु0 377.22 लाख का अतिरिक्त व्यय भार।

ट्रामा केयर सेंटर भवन निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण के लिए जिलाधिकारी, पौडी द्वारा सीतापुर नेत्र चिकित्सालय, कोटद्वार के साथ भूमि का स्थलीय निरीक्षण किया गया था (29.09.2008) तथा निर्णय लिया गया था कि हस्तान्तरित की जाने वाली भूमि में निर्मित श्रेणी–2 एवं श्रेणी–4 के दो भवनों के नवनिर्माण हेतु शासन से अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। इसी आश्वासन पर सीतापुर नेत्र चिकित्सालय, कोटद्वार द्वारा सहमति दी गयी थी। परन्तु बिना अनुदान दिए ही शासनादेश संख्या 1373/XVIII(II)/2009-2(93) दिनॉक 31.08.2009 द्वारा सीतापुर नेत्र चिकित्सालय स्थित चयनित 10,000 वर्गफीट भूमि स्वास्थ्य विभाग को पट्टे पर आवंटित की गयी तथा शासनादेश संख्या 1394/xxviii-5-2009-62/2008 दिनॉक 23.11.2009 द्वारा ट्रामा केयर सेंटर के भवन निर्माण हेतु रु0 103.28 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी। भवन निर्माण हेतु उत्तराखण्ड पेयजल निगम, पौडी को कार्यदायी संस्था नियुक्त किया गया तथा रु0 24.12 लाख अवमुक्त किए गये (04.01.2010)।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, राजकीय बेस चिकित्सालय, कोटद्वार, पौडी के ट्रामा केयर सेंटर भवन निर्माण से सम्बन्धित लेखा–अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि भूमि हस्तान्तरण में हुई विभागीय उदासीनता एवं अनावश्यक विलम्ब के परिणामस्वरुप न केवल ट्रामा केयर सेंटर के भवन निर्माण पर रु0 377.22 लाख के अतिरिक्त व्यय भार के साथ–साथ दोनों आवासीय भवनों के पुनर्निर्माण हेतु रु0 15.65 लाख के अतिरिक्त वित्तीय भार उठाना पडा। विभागीय उदासीनता एवं अनावश्यक विलम्ब के प्रमुख बिन्दु निम्नवत् हैः–

1. दिनॉक 29.08.2008 में बनी सहमति के आधार पर सीतापुर नेत्र चिकित्सालय द्वारा दो आवासीय भवनों के नवनिर्माण हेतु रु0 48.97 लाख का आगणन इस आधार पर प्रस्तुत किया (27.02.2010) कि अनुदान उपलब्ध न होने के कारण भवनों का तोडना सम्भव नहीं है परन्तु शासन द्वारा इस हेतु कोई धनराशि न तो स्वीकृत की गयी एवं न ही सीतापुर नेत्र चिकित्सालय को इस हेतु कोई पत्राचार किया गया।

2. विभाग द्वारा लगभग दो वर्ष तक पूर्व सहमति के आधार पर कोई यथोचित कार्रवाई न किए जाने के परिणामस्वरुप सीतापुर नेत्र चिकित्सालय द्वारा माननीय न्यायालय में बाद दायर किया गया (02.07.2010)।

3. दायर वाद के निपटान हेतु सीतापुर नेत्र चिकित्सालय द्वारा पुनः (15.02.2011) अनुरोध किया कि ट्रामा सेंटर के निर्माण के साथ–साथ पूर्व में सहमति के आधार पर दोनों आवासीय भवनों का नवनिर्माण किया जाए तथा चयनित 10,000 वर्गफीट भूमि को छोडकर अवशेष भूमि सीतापुर नेत्र चिकित्सालय के नाम पर नामान्तरण किया जाए। परन्तु विभाग द्वारा इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गयी तथा प्रकरण लम्बित ही रखा गया।

4. स्थल पर भूमि विवाद होने के कारण कार्यदायी संस्था पेयजल निगम द्वारा निर्माण हेतु अवमुक्त धनराशि रु0 24.12 लाख तथा अर्जित ब्याज रु0 2.14 लाख अर्थात रु0 26.26 लाख चैक संख्या 019327 दिनॉक 30.10.2012 द्वारा वापिस की गयी।

5. विभाग द्वारा चार वर्ष से अधिक समय पश्चात् अन्त में माननीय न्यायालय के समक्ष वही समझौता किया गया (05.04.2013) जिसके लिए सीतापुर नेत्र चिकित्सालय पूर्व से ही सहमत था। अन्तिम समझौते में निर्णय लिया गया कि स्वास्थ्य विभाग चयनित भूमि में निर्मित दोनों आवासीय भवनों का नवनिर्माण कर सीतापुर नेत्र चिकित्सालय के सुपुर्द करेगा तथा अवशेष भूमि सीतापुर नेत्र चिकित्सालय के नाम पर नियमानुसार हस्तान्तरण हेतु प्रक्रिया प्रारम्भ करेगा।

6. इसी समझौते के उपरान्त शासनादेश संख्या 1394/xxviii-5-2009-62/2008 दिनॉक 23.11.2009 को निरस्त करते हुए अन्य शासनादेश संख्या 1977/ xxviii-5-2013-32/2012 दिनॉक 01.11. 2013 द्वारा ट्रामा केयर सेंटर के भवन निर्माण हेतु रु0 480.59 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी तथा भवन निर्माण हेतु पूर्व कार्यदायी संस्था पेयजल निगम के स्थान पर अन्य कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, देहरादून को नियुक्त किया गया (17.05.2013)। भवन निर्माण कार्य रु0 480.50 लाख व्यय के साथ पूर्ण हो चुका है (25.07. 2015) तथा हस्तान्तरण की कार्रवाई किया जाना लम्बित है (14.02.2018)।

7. इसके पश्चात् दिनॉक 05.04.2013 में हुए समझौते के अनुरुप शासन द्वारा चयनित भूमि में पूर्व निर्मित दोनों आवासीय भवनों के स्थान पर नवनिर्माण हेतु रु0 64.62 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या 21/XXVIII-5-2018-48/2017 दिनॉक 29.01.2018 में प्रदान की गयी, जिसमें धनराशि सीतापुर नेत्र चिकित्सालय को अवमुक्त किया जाना शेष है।

8. वर्तमान में ट्रामा सेंटर संचालन के स्थान पर चिकित्सालय का संचालन किया जा रहा है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अपने उत्तर में बताया कि इस हेतु समय–समय पर उच्चाधिकारियों से दिशा–निर्देश मॉगे गये परन्तु प्रकरण में कोई प्रगति नहीं हुई। उच्च स्तर से ही प्रकरण पर समय से कोई निर्णय न लिए जा सकने के कारण प्रकरण लम्बित रहा जिसके कारण पुनरीक्षित आगणन पर भवन निर्माण किया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यदि विभाग चार वर्ष से अधिक समय पूर्व हुयी सहमति (29.09.2008) के अनुरुप ही **कार्य**वाई करता जो कि उसके द्वारा दिनॉक 05.04.2013 में हुए समझौते के पश्चात् किया गया, तो ट्रामा सेंटर के निर्माण में रु0 377.22 लाख (अन्तिम व्यय रु0 480.50 लाख – पूर्व स्वीकृत राशि रु0 103.28 लाख) के अतिरिक्त व्यय भार से बचा जा सकता था।

अतः विभागीय उदासीनता के परिणास्वरुप ट्रामा सेंटर निर्माण में रु0 377.22 लाख के अतिरिक्त व्यय भार का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–II 'ब'

प्रस्तर–2 मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत रु0 8.74 लाख की शासकीय हानि।

मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के क्रियान्वयन हेतु थर्ड पार्टी प्रशासक एवं बीमा कम्पनियों (i) यूनाईटेड इण्डिया इन्शोरेन्स कम्पनी लिमिटेड, चैन्नई तथा (ii) बजाज एलाइन्स इन्शोरेन्स कम्पनी लिमिटेड, पूना के मध्य सेवा अनुबन्ध हेतु एक समझौता ज्ञापन किया गया। समझौता ज्ञापन के बिन्दु संख्या 14 में उल्लिखित भुगतान के नियम एवं शर्त के अनुसारः

1. चिकित्सालय को लाभार्थी के चिकित्सा उपचार, शल्य चिकित्सा, ओ0पी0डी0 इत्यादि से सम्बन्धित अन्तिम/ वॉछित दस्तावेज लाभार्थी के चिकित्सालय से डिस्चार्ज होने के सात दिनों के भीतर बीमा कम्पनी को ऑनलाइन अपलोड करना होगा।

2. यदि चिकित्सालय इन्टरनेट कनेक्टिविटी या अन्य कारणों से वॉछित दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने में असमर्थ रहता है तो भुगतान हेतु दावों को अधिकतम 10 दिनों के भीतर इलेक्ट्रोनिकली या मैन्युअली रुप से बीमा कम्पनी को प्रस्तुत करना होगा।

3. दावा प्रेषित करते समय चिकित्सालय भुगतान हेतु दावों को प्रस्तुत करने में हुई देरी के कारणों को बीमा कम्पनी को सूचित करेगा। यदि चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावे 30 दिनों के भीतर बीमा कम्पनी को प्रस्तुत किए गये हों तो बीमा कम्पनी इस आधार पर दावों को अस्वीकार नहीं करेगी कि दावे 10 दिनों के भीतर प्राप्त नहीं हुए या निर्धारित प्रारुप में नहीं थे।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, राजकीय बेस चिकित्सालय, कोटद्वार, पौडी के मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना से सम्बन्धित लेखा–अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि चिकित्सालय द्वारा योजना के क्रियान्वयन हेतु फेस–। में यूनाईटेड इण्डिया इन्शोरेन्स कम्पनी लिमिटेड, चैन्नई को 31 जुलाई 2016 तक रु0 17,26,800 की राशि के 317 चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावे प्रस्तुत किए गये, जिसमें से लेखापरीक्षा अवधि तक बीमा कम्पनी द्वारा 205 मामलों में ही रु0 10,30,616 की राशि प्रतिपूर्ति की गई तथा रु0 6,96,184 के 112 दावे प्रतिपूर्ति निरस्त किए गये। इसीप्रकार, फेस–।। के अन्तर्गत 01 अगस्त 2016 से बजाज एलाइन्स इन्शोरेन्स कम्पनी लिमिटेड, पूना को जनवरी 2018 तक रु0 21,34,994 की राशि के 396 चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावे प्रस्तुत किए गये, जिसमें से लेखापरीक्षा अवधि तक बीमा कम्पनी द्वारा 328 मामलों में ही रु0 17,09,924 की राशि प्रतिपूर्ति की गई, 45 दावे धनराशि रु0 2,46,970 प्रगतिरत हैं तथा रु0 1,78,100 के 23 दावों को निरस्त किया गया। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा बीमा कम्पनियों को प्रतिपूर्ति हेतु प्रस्तुत दावों, उसके सापेक्ष भुगतानित दावों एवं निरस्त दावों का विवरण निम्नवत् हैः–

बीमा कम्पनी	कुल प्रस्तुत दावे		भुगतानित दावे		अस्वीकृत दावे	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
यूनाईटेड इण्डिया इन्शोरेन्स कम्पनी लिमिटेड, चैन्नई	317	17,26,800	205	10,30,616	112	6,96,184
बजाज एलाइन्स इन्शोरेन्स कम्पनी लिमिटेड, पूना	396	21,34,994	328	17,09,994	23	1,78,100
योगः–	**713**	**38,61,794**	**533**	**27,40,540**	**135**	**8,74,284**

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अपने उत्तर में बताया कि अनुबन्धों में निर्धारित समयावधि में प्रतिपूर्ति हेतु चिकित्सा प्रपत्रों को अपलोड करने में कभी–कभी नेटवर्क बाध्यता एवं रोगियों के प्रपत्रों का अपूर्ण रहना है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इन समस्त बाधाओं को बीमा योजना लागू होने से पूर्व ही पूर्ण किया जाना चाहिए था। इसप्रकार, चिकित्सालय द्वारा 135 दावों के अस्वीकार/निरस्त होने के परिणामस्वरुप राज्य सरकार को रु0 8.74 लाख की शुद्ध हानि हुई।

अतः मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत रु0 8.74 लाख के शासकीय हानि का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर–1 रु0 89.46 लाख के आधिक्य सहित रु0 5.50 लाख की स्वीकृति प्राप्त न किया जाना।

चिकित्सा प्रबन्धन समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए विभिन्न मदों में व्यय हेतु वार्षिक बजट रु0 313.00 लाख पारित किया गया।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, राजकीय बेस चिकित्सालय, कोटद्वार, पौडी के चिकित्सा प्रबन्धन समिति एवं तुलन पत्र से सम्बन्धित अभिलेखों से मिलान में पाया गया कि वर्ष 2016–17 में दो मदों में स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय किया गया जिसके लिए कोई स्वीकृति नहीं ली गयी। विवरण निम्नवत् हैः–

(रु0 लाख में)

क्र0 सं0	खाता सं0	स्वीकृत धनराशि	व्यय धनराशि	आधिक्य
1.	सामग्री सम्पूर्ति	33.00	37.95	4.75
2.	मजदूरी	22.00	22.75	0.75
योगः–				**5.50**

इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2016–17 में कुल प्राप्त आबंटन एवं राजस्व प्राप्ति रु0 146.00 लाख के सापेक्ष रु0 235.00 लाख व्यय किया गया। इसप्रकार, रु0 89.46 लाख का अधिक व्यय किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया अपितु बताया कि समस्त बिन्दुओं का संज्ञान लेकर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

अतः रु0 89.46 लाख के आधिक्य सहित रु0 5.50 लाख की स्वीकृति प्राप्त न किए जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर–2 रु0 1.18 लाख की औषधि का स्थानीय बाजार से अनियमित क्रय।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, राजकीय बेस चिकित्सालय, कोटद्वार, पौडी के वर्ष 2017–18 तक के औषधियों से सम्बन्धित लेखा–अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि चिकित्सालय द्वारा वर्ष 2017–18 में चिकित्सा प्रबन्धन समिति के खाते से स्थानीय बाजार से क्रय की गयी धनराशि रु0 1,54,967.04 में से रु0 1,18,413.03 का व्यय मुख्यतः चार रोगियों (अब्दुल हई : रु0 14,999,02, अब्दुल कयूम : रु0 57,253.44, श्री धर्मेन्द्र : रु0 3,885.77 एवं श्री विनोद कुमार : रु0 42,274.80) हेतु किया गया तथा उसमें भी प्रत्येक माह इन रोगियों को स्थानीय बाजार से सीधे औषधि क्रय कर उपलब्ध करायी गयी। यहॉ तक कि श्री विनोद कुमार को माह 4/2017 से 5/2017 तक चार बार रु0 2386.65 प्रतिमाह तथा माह 6/2017 से 12/2017 तक 13 बार रु0 2517.60 प्रतिमाह की औषधि स्थानीय बाजार से क्रय कर दी गयी थी, जो स्थानीय बाजार से क्रय की गयी औषधि पर संदेह उत्पन्न करता है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने उत्तर में बताया कि सम्बन्धित रोगी बी0पी0एल0/अन्तोदय होने के साथ ही गम्भीर बीमारी से ग्रसित होने के कारण स्थानीय बाजार से औषधियॉ क्रय कर उपलब्ध करायी गयी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ऐसा कोई प्रावधान विद्यमान नहीं है जिससे बी0पी0एल0/अन्तोदय रोगियों को प्रत्येक माह एक समान औषधि स्थानीय बाजार से क्रय कर उपलब्ध की जानी हो। अतः रु0 1.18 लाख की औषधि का स्थानीय बाजार से क्रय अनियमित था।

अतः रु0 1.18 लाख की औषधि का स्थानीय बाजार से अनियमित क्रय का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरणः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग–।। 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग–।। 'ब' प्रस्तर संख्या	स्टैन
46 / 2012–13	1	1	–
128 / 2016–17	–	1 एवं 2	1, 2 एवं 3

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
46 / 2012–13	भाग–।। 'अ' प्रस्तर–1	कार्यालय द्वारा कोई अनुपालन आख्या प्रस्तुत नहीं की गई।	अनुपालन आख्या के अभाव में प्रस्तर यथावत् रखे जाने की संस्तुति की जाती है।	
	भाग–।। 'ब' प्रस्तर–1	–– तदैव ––	–– तदैव ––	
128 / 2016–17	भाग–।। 'ब' प्रस्तर–1	–– तदैव ––	–– तदैव ––	
	भाग–।। 'ब' प्रस्तर–2	–– तदैव ––	–– तदैव ––	
	स्टैन प्रस्तर–1	–– तदैव ––	–– तदैव ––	
	स्टैन प्रस्तर–2	–– तदैव ––	–– तदैव ––	
	स्टैन प्रस्तर–3	–– तदैव ––	–– तदैव ––	

भाग–IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

–– शून्य ––

भाग–V

1. कार्यालय महालेखाकार लेखापरीक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गए अभिलेख एवं सूचनाऐं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय **मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, राजकीय बेस चिकित्सालय, कोटद्वार, पौडी** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गये:–

   (i)
(ii) } –– शून्य ––

2. सतत् अनियमितताऐं:

   (i)
(ii) } –– शून्य ––

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया:–

क्र0 सं0	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
1.	डा0 आई0एस0 सामन्त	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक	05.10.2010 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय **मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, राजकीय बेस चिकित्सालय, कोटद्वार, पौडी** को इस आशय से प्रेषित कर दी जाएगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप–महालेखाकार, सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), महालेखाकार भवन, कौलागढ, को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.